न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस

अपील संख्याः 48/15 **निर्णय दिनांकः– 21.08.2018**

1. चम्पा पत्नी सुगना जाति मेघवाल निवासी दुसारणा बड़ा तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. भंवरलाल पुत्र सुगना जाति मेघवाल निवासी दुसारणा बड़ा तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. सुमेरमल पुत्र सुगना जाति मेघवाल निवासी दुसारणा बड़ा तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।

–अपीलांटस्

–बनाम–

1. कोजाराम पुत्र सुगना जाति मेघवाल दुसारणा बड़ा तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
2. भरताराम पुत्र सुगना जाति मेघवाल दुसारणा बड़ा तहसील श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
3. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा श्रीडूँगरगढ़ जिला बीकानेर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार राजस्व, श्रीडूँगरगढ़।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्व आदेश दिनांक 24–04–2015
उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़

उपस्थितः–

1. श्री ओम जाखड़, अभिभाषक अपीलांट्स
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

–निर्णय–

1. अपीलांट ने यह अपील उपखण्ड अधिकारी, श्रीडूँगरगढ़ के आदेश दिनांक 24–04–2015 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीके से अस्थ्ज्ञाई निषेधाज्ञा जारी की गई, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि ग्राम दुसारणा बड़ा तहसील श्रीडूँगरगढ़ के खसरा नम्बर 141 में तादादी 10.81 हेक्टर, खसरा नम्बर 278/7 तादादी 1.52 हेक्टर, खसरा नम्बर 297/172 तादादी 6.15 हेक्टर कुल किता 3 तादादी 17.85 हेक्टर भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के पिता सुगना की खातेदारी भूमि थी। सुगना की मृत्यु उपरान्त वादगत् भूमि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट 1 ता 2 की संयुक्त रूप से 1/5—1/5 की खातेदारी भूमि दर्ज रिकार्ड हुई। जिसके अनुसार अपीलांट व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त कृषि भूमि का अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स के मध्य आपसी बाह्मी तौर पर मौखिक बंटवारा हो चुका है। जिसके अनुसार खसरा नम्बर 141 की तादादी 10.18 हेक्टर में से 28 बीघा भूमि चम्पा व भंवरलाल, 8 बीघा सुमेरमल, 4.2486 बीघा भरताराम व कोजाराम के हिस्से में आई एवं खसरा नम्बर 279/172 की तादादी 6. 15 हेक्टर की भूमि संयुक्त रूप सेू भरताराम व कोजाराम के हिस्से में आई एवं खसरा नम्बर 278/7 की 1.52 हेक्टर भूमि सुमेरमल के हक व हिस्से में आई। इस प्रकार अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी अपनी हिस्से व धारण की भूमि का मौखिक रूप से विभाजन कर रखा है तथा उसी के अनुरूप काबिज काश्त है।

उन्होनें आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के मन में लालच आ जाने के कारण अपीलांट संख्या 3 की खातेदारी भूमि खेत खसरा नम्बर 278/7 तादादी 1.52 हेक्टर भूमि पर नाजायज रूप से कब्जा करना चाहते है तथा अपीलांट को बेदखल करने पर अमादा है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना तथ्यों की जॉच किये रेस्पोडेन्ट का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया है जो स्पष्ट रूप से कानून व नियमों के विपरीत होन से निरस्त योग्य है। क्योंकि वादगत् भूमि पर पक्षकारों का हक व हिस्सा अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद में तय होने है। चूंकि अपीलांट अपने हक व हिस्से की भूमि पर आपसी मौखिक बंटवारें के अनुसार काबिज काश्त है तथा अपने हक व हिस्से की भूमि का रिकार्डेड खातेदार है। कानून की स्पष्ट

स्थिति है कि किसी भी रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर आदेश जैर अपील निरस्त फरमाया जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के समन रजिस्टर्ड जारी किये गये परन्तु बावजूद सूचना वे उपस्थित नहीं आये। अतः उनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि ग्राम दुसारणा बड़ा तहसील श्रीडूँगरगढ़ के खसरा नम्बर 141 में तादादी 10.81 हेक्टर, खसरा नम्बर 278/7 तादादी 1.52 हेक्टर, खसरा नम्बर 297/172 तादादी 6.15 हेक्टर कुल किता 3 तादादी 17.85 हेक्टर एक संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जिस पर अपीलांट व रेस्पोडेन्ट का विधिवत हिस्सा कायम है। अदालत मातहत द्वारा वाद के निर्णय तक वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति व वादगत् भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं किये जाने के आदेश प्रदान किये है। जिससे किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादगत् भूमि ग्राम दुसारणा बड़ा तहसील श्रीडूँगरगढ़ के खसरा नम्बर 141 में तादादी 10.81 हेक्टर, खसरा नम्बर 278/7 तादादी 1.52 हेक्टर, खसरा नम्बर 297/172 तादादी 6.15 हेक्टर कुल किता 3 तादादी 17.85 हेक्टर के वाद के निर्णय तक मौके व रिकार्ड की यथास्थिति व वादगत् भूमि को रहन बैय व मुन्तकिल नहीं किये जाने के आदेश पारित किये गये है जिसके विरूद्व अपीलांट द्वारा उक्त अपील प्रस्तुत की गई है।

(2) अपीलांट का कथन है कि वादगत् भूमि अपीलांट की खातेदारी भूमि है जिस पर रेस्पोडेन्ट का कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है क्योंकि अपीलांट व रेस्पोडेन्ट के मध्य आपसी मौखिक बाह्मी बंटवारा हो चुका है तथा अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स को अपना अपना हक व हिस्सा प्रदान किया जा चुका है।

(3) हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली, निर्णय व उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। जिसके अवलोकन से साबित है कि वादगत् भूमि एक पैतृक सम्पति है।

(4) रेस्पोडेन्ट द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम किये जाने की इस्तदुआ की गई। अदालत मातहत द्वारा दोनों पक्षों की बहस सुनने के पश्चात् वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड व वादगत् भूमि को दावे के निर्णय तक रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है। अपीलांट का मुख्य कथन है कि वे वादगत् भूमि के रिकार्डेड खातेदार है ऐसी स्थिति में रिकार्डेड खातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा पारित नहीं की जा सकती।

(5) प्रस्तुत मामलें में यह तथ्य निर्विवाद है कि वादगत् भूमि एक पैतृक सम्पति है जिस पर हक व हकूकों का निर्धारण अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद में तय होना है। पत्रावली में प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर यह तथ्य साबित है कि वादगत् भूमि के अपीलांट व रेस्पोडेन्ट्स सहखातेदार है। प्रकरण में रेस्पोडेन्ट्स का कथन है कि अपीलांट द्वारा अपने हक की भूमि का अन्य व्यक्तियों को परित्याग किया है तथा यदि अप्रार्थी/अपीलांट को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से नहीं रोका जाता है तो शेष भूमि का परित्याग अन्य व्यक्तियों को कर देगा। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा ताफैसला वाद् वादगत् भूमि के मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये है।

(6) चूंकि प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा वाद के निर्णय तक वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड की यथास्थिति व वादगत् भूमि को रहन, बैय व मुन्तकिल नहीं किये जाने के आदेश प्रदान किये है। जिससे किसी भी पक्षकार के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ना है तथा वादगत् भूमि पर अपीलांट/रेस्पोडेन्ट के हक व हकूकों का निर्धारण अदालत मातहत के समक्ष जैरकार वाद में तय होने है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश के माध्यम से वादगत् भूमि के मौके व रिकार्ड व रहन, बैय नहीं किये जाने के आदेश प्रदान किये गये है, उक्त आदेश से किसी भी पक्षकार को अपूरणीय क्षति कारित नहीं होनी है। लिहाजा अदालत मातहत का आदेश न्यायोचित व तर्कसंगत आदेश है जिसमें अपील के स्तर पर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

8. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट्स की अपील खारिज की जाती है एवं उपखण्ड अधिकारी श्रीडूँगरगढ़ का आदेश दिनांक 24—04—2015 बहाल रखा जाता है

9. निर्णय आज दिनांक 21.08.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर